

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2117

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए विशेष उपाय

2117. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राजसमंद, जैसलमेर जैसे जनजातीय बहुल जिलों में महिलाओं के लिए सौर-आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी पहलों के तहत प्राप्त परिणामों का व्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): केंद्र सरकार देश में सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने एवं उसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, जिससे विभिन्न नौकरियों में महिलाओं सहित अन्य लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। इस संबंध में प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) व धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बस्तियों/गाँवों हेतु नई सौर ऊर्जा योजना का क्रियान्वयन करता है। इस योजना के अंतर्गत, ऑफ-ग्रिड सिस्टम (सोलर होम लाइटिंग सिस्टम/सोलर मिनी ग्रिड) महिलाओं

सहित, आदिवासी एवं पीवीटीजी परिवारों को आदिवासी, पीवीटीजी क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केंद्रों और सार्वजनिक संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं, जहां ग्रिड से जुड़ा विद्युतीकरण तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है। पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) रूफटॉप सोलर लगाने और एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है। फरवरी, 2024 में योजना के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 14.07.2025 तक, देश के कुल 15.45 लाख घरों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से लाभ हुआ है। इस योजना के "आदर्श सौर ग्राम" घटक के अंतर्गत, पूरे भारत में प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श सौर ग्राम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। एक अन्य योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), कृषि क्षेत्र को डीजल-मुक्त बनाने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के नामित विभागों द्वारा किया जा रहा है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई) मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत सूर्यमित्र (सोलर पीवी तकनीशियन) एवं वरुणमित्र (सोलर वाटर पंपिंग तकनीशियन) कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के अंतर्गत सोलर रूफटॉप तकनीशियन एवं सहायक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान सहित पूरे भारत में सौर परियोजनाओं/प्रणालियों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु महिलाओं सहित योग्य एवं कुशल मानव संसाधन का विकास किया जा रहा है। राजस्थान में महिलाओं सहित प्रशिक्षित मानव संसाधनों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं	श्रेणी	संख्या
1	प्रशिक्षित सूर्यमित्र	10599
2	प्रशिक्षित सोलर रूफटॉप तकनीशियन एवं सोलर हेल्पर	5815
3	राजसमंद जिले में प्रशिक्षित रूफटॉप सोलर तकनीशियन (2024-25 में)	38
4	जैसलमेर जिले में प्रशिक्षित रूफटॉप सोलर तकनीशियन	शून्य
5	जैसलमेर जिले में प्रशिक्षित सूर्यमित्र (सोलर पीवी तकनीशियन)	615 (पिछले तीन वर्षों में 111)
6	राजसमंद जिले में प्रशिक्षित सूर्यमित्र (सोलर पीवी तकनीशियन)	शून्य
